



“प्ररूप 26”
(नियम 4क देखिए)



B.No. 20 S.No. 20

23 APR 2014

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) वीक सभा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

में मो० नौशाद मो० मंजूर
आयु 25 वर्ष, जो आम - नरसम्पदा, पौनथाना - कांटी
जिला - मुजफ्फरपुर, राज्य - बिहार, पिन - 843109

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं वंचितसमाज इस्लाफ पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 16 - वंशाली (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 43 के क्रम सं 291 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 8292779993 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) shay है।

(4) रथाई लेखा संख्याक (पेन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रार्थिति : शुभ

मो० नौशाद

Authorised U/S 8(1)(e) of the Notaries (Act LIII of 1952) Under rule II of the Notaries Act 1956



क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	शुन्	शुन्	शुन्
2.	पति या पत्नी	शुन्	शुन्	शुन्
3.	आश्रित-1	शुन्	शुन्	शुन्
4.	आश्रित-2	शुन्	शुन्	शुन्
5.	आश्रित-3	शुन्	शुन्	शुन्

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन्
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुन्
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शुन्
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन्
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शुन्

मीर सौशाद

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
(पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न):- २५-५



(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	२५-५
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	२५-५
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	२५-५

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:-

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	२५-५
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	२५-५
(ग)	अधिरोपित दंड	२५-५
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	२५-५

५/१० - २०१६

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ



अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	2,000/-	12,00/-	₹5-00	₹5-00	₹5-00
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आदधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1,000/-	₹5-00	₹5-00	₹5-00	₹5-00
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	₹5-00	₹5-00	₹5-00	₹5-00	₹5-00

मो नो 2116



(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शुल्क	10 ग्राम, 31,000/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ix)	समग्र कुल मूल्य	3,000/-	32,200/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति-या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क

म/० नोशाह



	विनिधान	२५००	२५००	२५००	२५००	
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५००	२५००	२५००	२५००	
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
(iii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००	
(IV)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	32	२५००	२५००	२५००	२५००
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	6 चक्र	२५००	२५००	२५००	२५००
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	6 चक्र	२५००	२५००	२५००	२५००
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	२५००	२५००	२५००	२५००
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००

मो नौवा 6

	क्रय की तारीख	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	2,00,000/-	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००



(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति-या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
	कोई अन्य दायित्व	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
	दायित्वों का कुल योग	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर साहेत) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००
	आय-कर शोध्य	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००	₹५००

मार्ग नं. ५६

	धनकर शोध	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	सेवाकर शोध	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	विक्रयकर शोध	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
	कोई अन्य शोध	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	२५००	२५००	२५००	२५००	२५००

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं मजदूरी (तिलाई)

(ख) पति या पत्नी ३५००



(10) मेरी शैक्षिक अर्हत. नीचे दिये अनुसार है :-

आठवां - ए.० मध्य - विद्यालय मणिकपुर सरेया

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

मोह नौबत

भाग-ख



(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम		श्री/श्रीमती/कु० नौशाद			
2	डाक का पता		श्री- नरसिंहा पोत थाना - कांटी, वि० मुजफ्फरपुर			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		16-वैशाली, बिहार			
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)		वंचित समाज इन्साफ पार्टी			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।		शून्य			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन)		शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)		शून्य			
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ख) सति-या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	सति-या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	क जगम आस्तियां (कुल मूल्य)	3,000/-	32,200/-	शून्य	शून्य	शून्य
ख स्थावर आस्तियां	2,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

नौशाद



I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
9	दायित्व	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	₹ 500				
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	आठवां - रा. मध्य विद्यालय, मणिकपुर				
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

मो 0 मोरा

सत्यापन



मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से मिन को कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 23/04/2014 को सत्यापित किया गया।

The deponent identified by Advocate/Notary
Solemnly affirmed & declared before me

Suresh Kumar
NOTARY, MUZAFFARPUR

23/04/14
Shant Bhushan
Advocate
23/04/2014

H/O-तोराह
अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 8292779393

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है NIL

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है NIL

H/O-तोराह